



## न्यायालय राजस्व मंडल म.प्र.ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्र. /2016 निगरानी निग. २०१७-१-१६

(1) मंगल सिंह, पुत्र श्री घनसुन्दर सिंह,

(2) मातादीन, पुत्र श्री घनसुन्दर सिंह

निवासीगण ग्राम हतलई तहसील व जिला  
दतिया म.प्र.

..... निगरानीकर्ता

बनाम

अमर सिंह रावत, पुत्र हम्मीर सिंह रावत,  
निवासी ग्राम हतलई तहसील व जिला-दतिया  
म.प्र.

.....प्रतिनिगरानीकर्ता

(2) चतुर सिंह रावत पुत्र श्री घनसुन्दर सिंह,

(3) रघुवीर सिंह, पुत्र श्री घनसुन्दर सिंह,

(4) पंचम सिंह, पुत्र मंगल सिंह,

(5) लोकेन्द्र सिंह, पुत्र मंगल सिंह,  
उपरोक्त समस्त निवासीगण ग्राम हतलई  
जिला दतिया म.प्र.

.....तरतीबी निगरानीकर्ता

निगरानी याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता विरुद्ध आदेश दिनांक  
13.06.2016 प्रकरण क्र. 41/अपील/2015-16 पारित द्वारा न्यायालय  
अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग दतिया म.प्र.।

माननीय न्यायालय,

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

1. यह कि, प्रतिनिरानीकर्ता क्र. 1 अमर सिंह द्वारा एक अपील अंतर्गत धारा 44 म.प्र. भू राजस्व संहिता के अंतर्गत ग्राम पंचायत हतलई द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.05.2014 के प्रस्ताव क्र. 6 के विरुद्ध इस आशय की प्रस्तुत की कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की सहमति व अनुमति के बिना अपीलान्ट एवं रिस्पोटेंट के मध्य बटवारा कर दिया जिसकी

३

मेरा लाला है

मेरा लाला है

मेरा लाला है

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
 अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक—निगरानी—2019—एक / 2016

जिला—दतिया

मंगल सिंह व अन्य विरुद्ध अमर सिंह आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकार अभिमानी के हस्ताक्षर
१३—०६—२०१९	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग दतिया, जिला—दतिया के प्रकरण क्रमांक 41 / अप्रैल / 2015—16 में पारित आदेश दिनांक 13—०६—२०१६ के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म०प्र०० भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25—९—२०१८ को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपरित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर दतिया, जिला—दतिया के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 07—०८—२०१९ को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p>(3)</p>	<p>(आरणक० जैसी) सदस्य</p> <p>1619</p>